मु० नम्बर.....किस्म..... .....उनवान.....

न्यायालय उप जिला कलेक्टर

फर्द अहकाम

दिनांक	
9/12/2	बकुलाय उपस्थित/[illegible] अधिवक्ता [illegible] प्रकरण है। नया [illegible] 28.2.22 को पेश हो।
28/2/2022	पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उपस्थित। पत्रावली बाबत जवाब व हल्फी दिनांक 14-3-2022 को पेश हो।
14/3/2022	पत्रावली पेश हुई। वकील ~~[illegible]~~ व शायल उपस्थित नहीं। प्रकरण में बार-बार शायल व शायल वकील को आवाज दिलवायी गयी। आवाज दिलवाने के बावजूद शायल व शायल वकील उप० नहीं। जिससे जाहिर होता है कि शायल व शायल वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मु० नं० 95/18 न०इ० हीरालाल बनाम ओमप्रकाश अदम पैरवी व अदम पैरवी से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Sing
Date: 2022.06.18 12:36:24 IST
Reason: SelfAttested